संख्या-36/2026/330/सात-न्याय-9(बजट)-2026-07-9099/74/2021

प्रेषक,

उदय प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0,
लखनऊ।

न्याय अनुभाग- 9(बजट) **लखनऊ : दिनांक 06 फरवरी,2026**

विषय : न्याय विभाग में केंद्र पुरोनिधानित योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न प्रायोजनायो हेतु एस०एन०ए० माड्यूल के अंतर्गत अग्रिम भुगतान हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में|

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निम्नलिखित शासनादेशो का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा न्याय विभाग में केंद्र पुरोनिधानित योजना के अंतर्गत संचालित 04 प्रायोजनायो हेतु एस०एन०ए० माड्यूल के अंतर्गत धनराशि की लिमिट निर्धारित किये जाने के आदेश निर्गत किये गयी है-

क्र०	शासनादेश का विवरण	निर्धारित लिमिट (रु० लाख में)
1	23/2026/1210868/सात-न्याय-9(बजट)-2026-07-9099/774/2021: दिनांक 21 जनवरी, 2026	400.00
2	27/2026/1219658/सात-न्याय-9(बजट)-2026-07-9099/163/2022 दिनांक 29 जनवरी, 2026	400.00
3	12/2026/1204738/सात-न्याय-9(बजट)-2026-07-9099/59/2024 दिनांक 14 जनवरी, 2026	36.61
4	13/2026/1204013/सात-न्याय-9(बजट)-2026-07-9002(002)/5/2022 दिनांक 14 जनवरी, 2026	300.00
	कुल योग	1136.61

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासनादेश संख्या-263/2025/1146153/सात-न्याय-9(बजट)-2024-10-12010(099)/ 3/2021 दिनांक 18 नवम्बर,2025 द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये SNA-SPARSH प्रणाली के अंतर्गत न्यायालय की स्थापना के लिये धनराशि रूपये 40.00 करोड तथा न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासों के निर्माण के लिये धनराशि रूपये 20.0833333 करोड की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरांत प्रस्तर-1 की तालिका में वर्णित शासनादेशो को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025 -2026 में संलग्न तालिका के कालम-2 में अंकित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 से सम्बन्धित न्यायालय भवन एवं आवास निर्माण की 04 प्रायोजनायो हेतु सम्मुख तालिका के कालम-3 में अंकित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि के सापेक्ष कालम-5 में अंकित विवरणानुसार अग्रिम भुगतान हेतु

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

धनराशि(कुल धनराशि रु० 1136.61 लाख(रूपये ग्यारह करोड़ छत्तीस लाख इक्सठ हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) उपर्युक्त निर्माण कार्य हेतु 'उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0' कार्यदायी संस्था नामित है। कार्यदायी संस्था/Implementing Agency द्वारा व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-14/2025/बी-1-1100/दस-2025 दिनांक 14 अक्टूबर ,2025 में उल्लिखित व्यस्थानुसार बेनिफिशियारी पंजीकृत किया जाएगा|

(2) एस०एन०ए०-स्पर्श मोड्यूल के अंतर्गत अग्रिम भुगतान हेतु स्टेट स्कीम मैनेजर/ डी0डी0ओ0(एसएनए-स्पर्श)/ एस०एन०ए०/द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी|

(3) अवमुक्त धनराशि को एस०एन०ए०-स्पर्श मोड्यूल के अंतर्गत नियमानुसार कार्यदायी संस्था/Implementing Agency द्वारा बेनिफिशियारी को भुगतान किया जाएगा तथा इस प्रक्रिया के अन्तर्गत भुगतान मे कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जायेगा।

(4) अग्रिम भुगतान के अंतर्गत समस्त वैधानिक कटौतिया किये जाने का का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ निर्माण एजेंसी का होगा तथा इस सम्बन्ध में वैधानिक कटौतिया किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा|

(5) अग्रिम भुगतान के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व सभी अग्रिम भुगतान हेतु समायोजन(समस्त बिल बोउचेर्स व् बैधानिक कटौतियो के विवरण सहित) की कार्यवाही राजकीय निर्माण एजेंसी (कार्यदायी संस्था)/ /Implementing Agency द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी (एस०एन०ए०-स्पर्श) के माध्यम से नियंमानुसार कराया जाएगा|

(6) सम्बन्धित अभिलेख इत्यादि कार्यदायी संस्था/Implementing Agency के स्तर पर ऑडिट हेतु रक्षित रखा जाएगा।

(7) भुगतान की जाने वाली धनराशि के Correctness का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायीसंस्था/Implementing Agency का होगा। इस सम्बन्ध में न्याय विभाग/एसएनए तथा साइबर ट्रेज़री का उत्तरदायित्व नहीं होगा।

(8) संलग्न तालिका में उल्लिखित प्रायोजनायो के मूल एवं इसी क्रम में निर्गत अन्य शासनादेशो में उल्लिखित सुसंगत शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा|।

(9) इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, भारत सरकार,पी.एफ़०एम०एस० डिविजन के सुसंगत आदेशो/ सुसंगत शासनादेशो में उल्लिखित दिशा निर्देशों /शर्तो/प्राविधानो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा|

(10) अवमुक्त धनराशि के नियमानुसार उपभोग होने के उपरान्त सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त अग्रेतर किश्त अवमुक्त किये जाने हेतु सम्बन्धित जनपद न्यायालय द्वारा नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव न्याय विभाग,उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जाएगा|

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च,2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय न्याय विभाग के अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालय की स्थापना (के-60/रा-40-के0+रा0)-24-वृहद निर्माण कार्य" एवं "4216-आवासों पर पूंजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास -01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-जनपदों में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासों का निर्माण (के-60/रा-40-के0+रा0)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025,दिनांक 27.03.2025 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(उदय प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-36/2026/330(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2026, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग, उ0प्र0 प्रयागराज ।**
2. **प्रधान महालेखाकार(लेखा परीक्षा), उ0प्र0 प्रयागराज।**
3. **महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।**
4. **श्री नीरज कुमार गयागी,संयुक्त सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय,भारत सरकार,नयी दिल्ली|**
5. **निबन्धक(जे) इन्फ्रा0 (एच0सी0), मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ।**
6. **सम्बंधित जनपद न्यायाधीशगण।**
7. **निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल जवाहर भवन, लखनऊ।**
8. **मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी-साइबर ट्रेज़री,जवाहर भवन|**
9. **सम्बंधित कोषाधिकारी -जनपद कोषागार|**
10. **उपसचिव/स्टेट स्कीम मैनेजर/ डी0डी0ओ0(एसएनए-स्पर्श) उ0प्र0 शासन।**
11. **सिंगल नोडल एजेंसी- एडमिन, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।**
12. **डाटा ओपेरटर/डाटा एप्रूवर एसएनए-स्पर्श|**
13. **वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 12**
14. **गार्डफाईल।**

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार सिंह-II)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या -36/2026/330/सात-न्याय-9(बजट)-2026-07-9099/74/2021
दिनांक 06 फरवरी,2026 का संलग्नक

.....

(रू0 लाख में)

क्रमांक	प्रायोजाना का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तोय स्वीकृति	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	जनपद कौशाम्बी में 06 नग परिवार न्यायालय कक्ष निर्माण कार्य ।	2452.08	465.32	400.00 (रूपये चार करोड़ मात्र) (केन्द्रांश रू0 240.00 लाख एवं राज्यांश रू0 160.00 लाख)
2	जनपद कानपुर देहात में 02 नग परिवार न्यायालय का निर्माण कार्य।	1390.06	490.06	400.00 (रूपये चार करोड़ मात्र) (केन्द्रांश रू0 240.00 लाख एवं राज्यांश रू0 160.00 लाख)
3	जनपद अलीगढ में जजेज कालोनी अलीगढ में 08 नग टाईप-5 आवास का निर्माण कार्य।	600.09	36.61	36.61 (रू0 छत्तीस लाख इकसठ हजार मात्र) (केन्द्रांश रू0 21.966 लाख एवं राज्यांश रू0 14.644 लाख)
4	जनपद न्यायालय आगरा के आवासीय परिसर जजेज कम्पाउण्ड में श्रेणी-5 के 28 नग आवास निर्माण कार्य।	3363.19	2120.82	300.00 (रूपये तीन करोड़ मात्र) (केन्द्रांश रू0 180.00 लाख एवं राज्यांश रू0 120.00 लाख)
			कुल योग	1136.61 (रूपये ग्यारह करोड़ छत्तीस लाख इकसठ हजार मात्र)

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार सिंह-II)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।